

विषय सूची

CONTENTS

	Page / पृष्ठ
1. प्रस्तावना	iii-iv
2. अनुदानों की मांगों का सारांश	v-xiii
3. अनुदानों की मांगें	
कृषि मंत्रालय	1-3
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	4
परमाणु ऊर्जा विभाग	5-6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	7-8
नागर विमानन मंत्रालय	9
कोयला और खान मंत्रालय	10-11
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	12-13
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14-16
कम्पनी कार्य मंत्रालय	17
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	18-19
संस्कृति मंत्रालय	20
रक्षा मंत्रालय	21-28
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29
पर्यावरण और वन मंत्रालय	30
विदेश मंत्रालय	31
वित्त मंत्रालय	32-45
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	46
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	47-49
भाषी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	50-51
गृह मंत्रालय	52-56
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	57-59
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	60
श्रम और रोजगार मंत्रालय	61
विधि और न्याय मंत्रालय	62-64
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	65
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	66
पंचायती राज मंत्रालय	67
महासागर विकास विभाग	68
संसदीय कार्य मंत्रालय	69
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	71
योजना मंत्रालय	72
विद्युत मंत्रालय	73
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	74-78
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	79
ग्रामीण विकास मंत्रालय	80-82
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	83-85
नौवहन मंत्रालय	86
लघु उद्योग मंत्रालय	87
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88
अन्तरिक्ष विभाग	89
1. Introduction	iii-iv
2. Summary of Demands for Grants	v-xiii
3. Demands for Grants	
Ministry of Agriculture	1-3
Ministry of Agro and Rural Industries	4
Department of Atomic Energy	5-6
Ministry of Chemicals and Fertilisers	7-8
Ministry of Civil Aviation	9
Ministry of Coal and Mines	10-11
Ministry of Commerce and Industry	12-13
Ministry of Communications and Information Technology	14-16
Ministry of Company Affairs	17
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	18-19
Ministry of Culture	20
Ministry of Defence	21-28
Ministry of Development of North Eastern Region	29
Ministry of Environment and Forests	30
Ministry of External Affairs	31
Ministry of Finance	32-45
Ministry of Food Processing Industries	46
Ministry of Health and Family Welfare	47-49
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises	50-51
Ministry of Home Affairs	52-56
Ministry of Human Resource Development	57-59
Ministry of Information and Broadcasting	60
Ministry of Labour and Employment	61
Ministry of Law and Justice	62-64
Ministry of Non-Conventional Energy Sources	65
Ministry of Non Resident Indians Affairs	66
Ministry of Panchayati Raj	67
Department of Ocean Development	68
Ministry of Parliamentary Affairs	69
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	70
Ministry of Petroleum and Natural Gas	71
Ministry of Planning	72
Ministry of Power	73
The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice-President	74-78
Ministry of Road Transport and Highways	79
Ministry of Rural Development	80-82
Ministry of Science and Technology	83-85
Ministry of Shipping	86
Ministry of Small Scale Industries	87
Ministry of Social Justice and Empowerment	88
Department of Space	89

		Page / पृष्ठ
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	Ministry of Statistics and Programme Implementation	90
इस्पात मंत्रालय	Ministry of Steel	91
कपड़ा मंत्रालय	Ministry of Textiles	92
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism	93
जनजाति कार्य मंत्रालय	Ministry of Tribal Affairs	94
(विधानमंडल रहित) संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories (Without Legislature)	95-120
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development	121-123
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation	124
जल संसाधन मंत्रालय	Ministry of Water Resources	125
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	Ministry of Youth Affairs and Sports	126
4. नई सेवा/सेवा के नए साधन दर्शाने वाला विवरण	4. Statement showing details of New Service/New Instrument of Service	127

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (2) में यह अपेक्षित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित, भारत की समेकित निधि में से किए जाने वाले व्यय के वे अनुमान, जो इस निधि पर भारित नहीं होते, अनुदानों की मांगों के रूप में लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, कुछ बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग में प्रायः एक सेवा के लिए आवश्यक धनराशि की कुल व्यवस्था दिखाई जाती है अर्थात् इसमें राजस्व स्वाते का व्यय और उस सेवा के लिए, पूंजी स्वाते का व्यय (ऋण सहित) दिखाए जाते हैं। यद्यपि भारत की समेकित निधि पर 'भारित' व्यय के अनुमानों के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता, तथापि संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (1) के अनुसार ऐसे व्यय के बारे में संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में बहस की जा सकती है। इसलिए अनुदान की मांग में अगर किसी ऐसे खर्च की व्यवस्था होती है, जो भारत की समेकित निधि पर भारित होता है तो उसे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। जहां किसी सेवा के लिए यह व्यवस्था भारत की समेकित निधि पर पूरी तरह 'भारित' व्यय के लिए होती है जैसे ब्याज संदाय और ऋण की वापसी—अदायगी, तो उसे मांग से पृथक विनियोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि उस पर कोई स्वीकृति नहीं मांगी जाती।

2. संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 2004-2005 के लिए अनुदानों की जो मांगें और विनियोग प्रस्तुत किए गए हैं वे समस्त मंत्रालयों/विभागों के लिए इसी खंड में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इन मांगों से पहले मांगों का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2004-2005 के लिए अनुदानों की मांगों और विनियोगों की पूरी सूची एक साथ दी गई है जिसमें राजस्व स्वाते और (ऋणों सहित) पूंजी स्वाते के अंतर्गत 'स्वीकृत' और 'भारित' शीर्षों के अधीन प्रत्येक मांग और विनियोग के सामने की गई व्यवस्था की कुल राशि दिखाई गई है। यह सारांश अनुदानों की मांगों और विनियोगों का अभिसूचक प्रलेख भी है।

3. मांगों के संदर्भ में, मंत्रालयों या विभागों के उल्लेख 9 जून, 2004 के तत्काल पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों से संबंधित हैं, और उस तारीख को या उसके बाद इससे अभिप्राय यह होगा कि यह उल्लेख समय-समय पर पुनर्गठित संबद्ध मंत्रालयों या विभागों के बारे में है। वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निर्धारित कार्य में अधिसूचित परिवर्तनों को इन मांगों में समाविष्ट कर दिया गया है।

INTRODUCTION

Clause (2) of Article 113 of the Constitution requires that so much of the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement as are not 'charged' on the Fund shall be submitted in the form of Demands for Grants for the vote of the Lok Sabha. Normally one Demand is presented in respect of each Ministry/ Department. In respect of some of the large Ministries/ Departments, however, more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a Service, that is to say, expenditure on Revenue Account, as well as expenditure on Capital Account (including Loans) for the Service. Although the estimates of expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India are not required to be voted by Parliament, clause (1) of Article 113 of the Constitution permits discussion thereon in either House of Parliament. Accordingly, a Demand for Grant also shows, distinctly in italics, the provision for expenditure, if any, 'charged' on the Consolidated Fund of India in relation to the Service represented by the Demand. Where the provision for a Service is entirely for expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India, for example, Interest Payments and Repayment of Debt, a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented, although no vote is sought thereon.

2. The Demands for Grants and the Appropriations for 2004-2005 presented to Parliament along with the Annual Financial Statement are contained in this volume in respect of all the Ministries/ Departments. A Summary of the Demands giving at one place a complete list of the Demands for Grants and Appropriations for 2004-2005, showing against each the total amount of the provision, separately under Revenue Account and Capital Account (including Loans) as well as "Voted" and "Charged", precedes the Demands. This Summary also serves as an Index to the Demands for Grants and Appropriations.

3. References to Ministries or Departments in the Demands are to such Ministries or Departments as existed immediately before June 9, 2004 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries/Departments as reconstituted from time to time. Changes in Allocation of Business to the various Ministries/Departments notified during the year have been given effect to in these Demands.

4. मांगों में सम्मिलित नई सेवा/सेवा के नए साधनों का मदवार विवरण अंत में दिया गया है।

4. A statement showing items of New Service/New Instrument of Service included in the Demands is given at the end.

5. इन मांगों पर टिप्पणियों सहित व्यय को मुख्य मदों/योजनाओं का ब्यौरा "व्यय बजट" खण्ड 2 नामक एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।

5. Details of major items of expenditure/schemes along with the Notes on these Demands are given in a separate document, "Expenditure Budget" Volume 2.